भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन – 6518/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–होशंगाबाद

चन्द्रभान पुत्र श्री छन्नूलाल कौरव
निवासी– ग्राम कोठरी तहसील वनखेडी
जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती यशोदा बाई पत्नी श्यामलाल यादव
निवासी– झिरिया तहसील वनखेडी जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)

...... अनावेदक

प्रस्तुत ... कं० ... 20-12-18
प्रस्तुत प्राथमिक तर्क हेतु
दिनांक 9-1-19
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर 20.12.18

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा. /2018/1430 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6518/2018/होशंगाबाद/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–2–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निगरानी समाप्त की गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । अत: यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	